सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति-2024

बिहार सरकार

बिहार सरकार की अनूठी पहल...

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाईल ऐप संचालकों के लिए सुनहरा अवसर!

अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर/ एजेंसी, वेब मीडिया एजेंसी एवं न्यूज मोबाइल ऐप की विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता हुई आसान

फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर न्यूनतम **1 लाख** फॉलोअर्स/सब्सक्राइबर्स वाले व्यक्ति/फर्म एवं न्यूनतम **50 हजार** प्रतिमाह एवरेज यूनिक यूजर वाली **वेब-मीडिया** संचालित करने वाले व्यक्ति / फर्म भी विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल हो सकते हैं।

फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया एवं वेब-मीडिया की बनाई गयी श्रेणी (A, B, C & D) के अनुरूप सरकार की **लोकहितकारी** एवं **विकासात्मक योजनाओं** को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मिलेंगी **आकर्षक धनराशि**

सूचीबद्धता की प्रक्रिया

QR Code स्कैन करें

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन → आवेदन का Print ले कर आवश्यक कागजातों के साथ सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को प्रेषण → आवेदन की तिथि 30.11.2024 से 15.12.2024 तक

PR. No. 013817 (I & PRD) D. 2024-25

आज ही! अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के साथ कराएं सूचीबद्ध!

अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें

https://state.bihar.gov.in/prdbihar

बिहार सरकार
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

ज्ञापांक–विज्ञा0(4)01–04 / 2024..2657........सू0ज0स0वि0, पटना दिनांक 29/11/24

आवेदन आमंत्रण सूचना

बिहार विज्ञापन नियमावली–2016 एवं बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली–2024 के आलोक में सोशल मीडिया (फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर (x) इंस्टाग्राम) तथा अन्य ऑनलाईन मीडिया (वेब मीडिया यथा वेबसाईट, न्यूजपोर्टल, न्यूज मोबाईल एप) को सूचीबद्ध किया जाना है। सूचीबद्धता के लिये इच्छुक व्यक्ति / फर्म से दिनांक 30.11.2024 से 15.12.2024 तक की अवधि में वांछित कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में ऑनलाईन **तथा** ऑफलाईन (दोनों) मोड में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात :–

i. आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होने का प्रमाण।

ii. मीडिया के नाम और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज, (यदि सोशल मीडिया फर्म के नाम से संचालित हो)।

iii. संस्था / कम्पनी का जी०एस०टी० प्रमाण पत्र (विगत 01 वर्ष के अद्यतन रिटर्न सहित) अथवा व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के लिए संचालक के आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र (विगत 01 साल का)।

iv. मीडिया संस्था अथवा संचालक के PAN कार्ड की छायाप्रति।

v. संस्था अथवा व्यक्ति के बैंक खाते का विवरण।

vi. संस्था के अधिकृत व्यक्ति / व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के संचालक का आधार कार्ड की छायाप्रति।

vii. संबंधित मीडिया के अधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण।

viii. यूनीक यूजर की गणना हेतु 06 महीने के औसत को आधार माना जाएगा। वेब मीडिया को वेबसाइट ऑडिटर (टूल या सॉफ्टवेयर) द्वारा प्रमाणित विगत 06 माह के औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग में जमा करानी होगी।

ix. सोशल मीडिया की सूचीबद्धता हेतु आवेदन के समय पिछले 06 माह की एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

x. सूचीबद्धता हेतु मीडिया को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, जिसके साथ संबंधित वेब मीडिया के लिए एवरेज यूनिक यूजर प्रति माह तथा सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स आदि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

xi. कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ जिसमें निम्नलिखित बातें अंकित रहेंगी :-

(a) आवेदक/संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार के आपराधिक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अनैतिक गतिविधियों, गंभीर अपराधों से संबंधित किसी भी थाने में मामले दर्ज नहीं हैं।

(b) वेब मीडिया अथवा सोशल मीडिया अकाउंट का पूरा स्वामित्व आवेदक का है।

(c) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारियाँ सही हैं तथा आवेदन के साथ दिये गये दस्तावेज सही और प्रामाणिक हैं। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो संबंधित मीडिया की सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

xii. सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया :

1. विस्तृत जानकारी, बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली-2024, आवेदन का प्रपत्र, Frequently Asked Questions (FAQ) तथा भरे हुए आवेदन प्रपत्र का नमूना विभागीय वेबसाईट state.bihar.gov.in/prdbihar पर उपलब्ध है।
2. आवेदक उक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाईन प्रपत्र में आवश्यक विवरणी भर कर आवेदन करेंगे।
3. ऑनलाईन किये गये आवेदन का प्रिंट निकाल कर सभी आवश्यक कागजात संलग्न करते हुए, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, नेहरू पथ, पटना-800015 के स्थापना शाखा को डाक के माध्यम से अथवा हाथों-हाथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

28/11/24

(वैभव श्रीवास्तव)
निदेशक
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2651 सू0ज0स0वि0, पटना, दिनांक 28/11/24

प्रतिलिपिः-उप निदेशक (विज्ञा0), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के लिए तथा विभागीय IT मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/24
निदेशक